



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 12 जनवरी, 2026

पौष 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 74/81-2-2026-29(54)-2025

लखनऊ, 12 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ10-8

चूंकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूंकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	वन खण्ड	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
एटा	एटा	एटा-सकीट	सकतपुर	1	155	2.1250	उत्तर- गाटा संख्या-153, 370 (चकरोड)

1	2	3	4	5	6	7	8
एटा	एटा	एटा-सकीट	सकतपुर	1	156	0.7640	पूरब —गाटा संख्या—363 (चकरोड) दक्षिण —गाटा संख्या—153, 176 और गाटा संख्या—156 का अवशेष भाग। पश्चिम —गाटा संख्या—130, 153, गाटा संख्या—156 का अवशेष भाग, 154 से सटा हुआ।
				2	364	7.1110	उत्तर —गाटा संख्या—386, 385, 368, 369, 367, 366, 370 (चकरोड) पूरब —गाटा संख्या—386, 385, 368, 367, 366, 365, 472, 463, 387, 369. दक्षिण —गाटा संख्या—365, 367, 387, 385, 363, 472, 473 (चकरोड), 471 (चकरोड) पश्चिम —गाटा संख्या—367, 365, 368, 472, 363 (चकरोड)
					कुल	10.000 हे०	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 74/ LXXXI-2-2026-29(54)-2025 dated January 12, 2026:

No. 74/ LXXXI-2-2026-29(54)-2025
Dated Lucknow January 12, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges

conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Forest Block No.	Khasra No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Etah	Etah	Etah-Sakit	Sakatpur	1	155	2.1250	North -Gata no. 153, 370 (Chak Road)
					156	0.7640	East -Gata no. 363 (Chak Road) South -Gata no. 153, 176 and Remaining Part of Gata no. 156 West -Gata no. 130, 153 Remaining Part of Gata no. 156 on Touch of Gata no. 154
				2	364	7.1110	North -Gata no. 386, 385, 368, 369, 367, 366, 370 (Chak Road) East -Gata no. 386, 385, 368, 367, 366, 365, 472, 463, 387, 369. South -Gata no. 365, 367, 387, 385, 363, 472, 473 (Chak Raod), 471 (Chak Road) West -Gata no. 367, 365, 368, 472, 363 (Chak Road)
Grand Total						10.000	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv,